## मूल मिवास्र शपथ-पत्र

जातिउस	विवासी	गाम पंचायत
पं. समिति /न.पा	जिला	राजस्यान का सूल निवासी रहा हूँ/ रही हूँ।
1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करत	ी हूँ कि मेरे	का मूल निवास बनान
चाहता/चाहती हूं। तथा पढ़ाई की	योग्यता का दस्तावेज संलग्न है	li e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2. में शपयपूर्वक बयान करता/करती	हूं कि मैं	का मूल निवास बनना चाहता/चाहती हूँ।
जिसका रिकार्ड में	गम हैं।	
<ol> <li>मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती</li> </ol>	` <b>.</b>	गाँव में मेरे सपरिवार सहितवर्षी
जन्म से निवास करता/करती हूँ।		
4. में शपथ पूर्वक बयान करता हूँ वि	व. सभा परबतसर भाग सं	की मतदाता
		दा-दादी/माता-पिता/सास-ससुर/पित का फोटो
साय हैं।)		
<ol> <li>में शपथ पूर्वक बयान करता/करते</li> </ol>	ीं हूँ कि मूल निवास का उपयोग	। भारतीय नागरिक होने को दास्तावेज मानकर
		ससे पूर्व मैने मूल निवास नहीं बनाया हैं।
and the first the first of the		दिनांकको
		में मेरे ससुराल/गांवमें
मैं मेरे पति के साथ निवास कर र		
		और मेरे पिता के साथ गांव
में रहती हैं।		
नोट- विवाह पश्चात् मेरा प्रमाण प	ात्र उपयोगी नहीं रहेगा (केवल	लड़की हेतु)
		के पते से ही हुआ हैं। हमारी खेत व जमीन भी
	गांव में ही हैं। जिसका मूल निव	
दिनांक		हस्ताकर
	तक्दीक	
ਜੋ	िपता/पति श्री.	
जातिनि	वासीतह	सीलह.जिलाह.जिला
राजस्थान का शपथ पत्र तस्दीक कर इसमें किसी प्रकार की असत्यता नहीं		ने पेरा सं. 1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से ही हैं।
दिनांक		हस्ताक्षर